

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 161 वीं बैठक दिनांक 01.03.2011 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमती शुचि शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस.एम. कुरेशी, अति.आयुक्त (पूर्व), जविप्रा जयपुर।
4. श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त, (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन-4 एवं 5, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी-एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
4. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक (जोन-6), जविप्रा जयपुर।
6. श्री भंवर सिंह, तहसीलदार, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती शशिकला शर्मा, उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

161/01.03.2011

विषय:-बीपीसी (ले आउट प्लान) 160 वीं बैठक दिनांक 07.02.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं क्रियान्विति के समीक्षा के संबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि क्रियान्विति के समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्या:-2

161/01.03.2011 (जोन-4)

विषय:-हथरोई गढी गृ.नि.स. समिति की योजन सुन्दर विहार के भूखण्ड संख्या 25 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।



प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो का अवलोकन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। मौके पर आंशिक निर्माण होने के कारण समिति ने विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 25 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त न किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-3

161/01.03.2011 (जोन-6)

विषय:-मित्र गृ.नि.स.समिति की योजना भवानी शंकर कोलोनी के भूखण्ड संख्या 1, 2, 8-ए, 9-ए, 10-ए, 31 से 37 कुल 12 भूखण्डों के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना पूर्व में अनुमोदित है सहकारी समिति द्वारा संदर्भित भूमि का इकरारनामा प्रस्तुत न करने के कारण इस भूमि की 90बी नहीं की गई थी। सहकारी समिति द्वारा इस भूमि का इकरारनामा प्रस्तुत करने पर इस भूमि की 90बी की जा चुकी है विचार विमर्श पश्चात् इस भूमि में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 1, 2, 8-ए, 9-ए, 10-ए, 31 से 37 कुल 12 भूखण्डों को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-4

161/01.03.2011 (जोन-6)

विषय:- म्यूचुअल गृ.नि.स. समिति की योजना 10-ए (रघुनाथपुरी) के भूखण्ड संख्या 30 व 31 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 30 व 31 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:-5

161/01.03.2011 (जोन-9)

विषय:-श्रीमती मधुलिका रस्तोगी एवं श्री अजय रस्तोगी द्वारा भूखण्ड संख्या ए-5 से ए-10 योजना रामनगरिया साउथ को पुर्नगठित करने के संबंध में।

श्रीमति मधुलिका रस्तोगी एवं श्रीअजय रस्तोगी द्वारा भूखण्ड संख्या ए-5 से ए-10 रामनगरिया साउथ का पुर्नगठन हेतु आवेदन किया है इन भूखण्डों का क्षेत्रफल 2419.78 वर्ग गज है। पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण निम्न सैटबैक पैरामीटर्स के अनुसार अनुमोदन की अनुशंषा करते हुये राज्य सरकार से स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।

सैटबैक,

भूखण्ड संख्या 160 की ओर	-पश्चिमी ओर	-12.00 मीटर
30' सडक ओर	-उत्तर की ओर	-6.00 मीटर,
भूखण्ड संख्या 3 एवं 12 की ओर	-दक्षिणी ओर	-6.00 मीटर
30' सडक की ओर	-पूर्वी ओर	-6.00 मीटर

अन्य मानदण्ड जविप्रा विनियम 2010 के अनुसार देय होंगे।

एजेण्डा आइटम सः-6

161/01.03.2011 (नीतीगत निर्णय)

विषय:-टोडार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2010 के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम की विभिन्न हाईटेंशन लाईन के नोन कन्सट्रक्शन क्षेत्र में सडक अनुज्ञेय करने के संबंध में।

टोडार के पत्र दिनांक 29.12.10 के साथ संलग्न राजस्थान रा.वि.वि. निगम लि. के पत्र क्रमांक Rvpn/ CE /T&C/ Sec/F/ D-2455 दिनांक 21.10.09 के सम्बन्ध में बैठक में विचार विमर्श किया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के इस पत्र में नोन कन्सट्रक्शन एरिया में निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात सडक स्वीकृत किये जाने के संबंध में इस पत्र में उल्लेख है जबकि पावर ग्रीड स्टेशन ऑफ इण्डिया के पत्र P6/ NRI/Bassi/ TL-15107 दिनांक 12.06.04 में नोन कन्सट्रक्शन एरिया सडक निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इन्हीं पत्रों के अनुसार रिंग रोड के अन्दर के सभी सेक्टर प्लानों में नोन कन्सट्रक्शन एरिया के पश्चात अलग से सडक प्रस्तावित की गई है।

इसलिए दोनों पत्रों में विरोधाभास की स्थिति होने के कारण मुख्य प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जानकारी ली जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि रिंग रोड के अन्दर सभी सेक्टर फाइनल हो चुके हैं अतः अब यह बदलाव नहीं किया जा सकता है क्यों कि कई योजनाएं व एकल पट्टे अनुमोदित सडक के बाहर दर्शाते हुये जारी किये जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या-1

161/01.03.2011(जोन-4)

विषय:-छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नन्द विहार योजना के भूखण्ड संख्या 14, 15 19 व 20 को योजना प्लान में संशोधन नियमन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में इन भूखण्डों में सडक प्रस्तावित थी इसलिये भूखण्डों पर सडक स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया इसलिये उसी निर्णय को यथावत रखते हुये भूखण्ड संख्या 14, 15, 19 व 20 में से प्रस्तावित सडक को निरस्त न करने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या-2

161/01.03.2011(जोन-5)

विषय:-160' चौड़ी न्यू सांगानेर से श्याम नगर योजना मानचित्र में 100'-0" चौड़ी करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों अवगत कराया कि न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है इसलिये इस सडक पर मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बनने तथा भविष्य में यातायात बहुत



बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शायी 160' चौड़ी सडक ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या-3

161/01.03.2011(जोन-8)

विषय:-निजी खातेदार की योजना मंगलम आनंद ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर का बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 19.11.10 के अतिरिक्त एजेण्डा नं 5 में हुआ था इस भूमि का ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा दिये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारा विमर्श दौरान यह तथ्य समिति के समक्ष लाये गये कि इस प्रकार योजना अनुमोदन के पश्चात् विकासकर्ता द्वारा एकल पट्टा चाहे जाने की स्थिति में एकल पट्टा दिया जा सकता है या नहीं। बैठक में सभी सदस्यों के द्वारा विचार व्यक्त किये गये कि प्रार्थी द्वारा एकल पट्टा चाहे जाने पर ग्रुप हाउसिंग का एकल पट्टा दिया जा सकता है।

अतः विचार विमर्श उपरांत ग्रुप हाउसिंग का पट्टा निम्न शर्तों के साथ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

1. प्राधिकरण की बैठक के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के भूखण्डों में 5 प्रतिशत भूमि सुविधा हेतु लिये जाने का निर्णय लिया गया था। इसलिये प्रार्थी से 5 प्रतिशत भूमि सुविधा हेतु ली जावे।
2. भूखण्ड का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक है इसलिये राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।

अति. एजेण्डा संख्या-4

161/01.03.2011(जोन-4)

विषय:-हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव शक्ति नगर ए के अनुमोदन के संबंध में।

योजना को बीपीसी एलपी की बैठक क्रमांक 158 दिनांक 19.01.11 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें इस योजना के कार्यवाही विवरण संख्या 3 में सडक को कम से कम 30' किये जाने का निर्णय लिया गया था। स्वीकृत योजना के कैम्प के दौरान भूखण्डधारियों द्वारा कैम्प का बहिष्कार किया गया और कहा कि मॉडल टाउन में मौके पर स्थित सडक के अनुसार योजना स्वीकृत की गई थी इसी प्रकार इस योजना में भी मौके के अनुसार ही सडक की चौड़ाई रखी जावे।

समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5(3)/नविवि/3/99 दिनांक 06.09.07 के अनुसार योजना में कम से कम 30' चौड़ी सडकें रखे जाने का प्रावधान है इसलिये इस योजना में 30'-0" सडक से कम चौड़ाई की सडक रखे जाने के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या-5


161/01.03.2011(जोन-4)

विषय:-दी फारेस्ट व्यू हाउसिंग कोपरेटिव सोसायटी की योजना अशोक विहार के भूखण्ड संख्या सी-11 व सी-12 में अग्रभाग की सोसायटी द्वारा आवापति कब्जाशुदा भूमि के नियमन से पूर्व योजना प्लान में 42.00 वर्ग मीटर भूमि के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। पूर्व में इस प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 155 दिनांक 12.11.10 में विचारार्थ रखा गया था। जिसमें त्रुटिवश 42 वर्ग गज भूमि का नियमानुसार शुल्क लिया जाकर इस क्षेत्र को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था का उल्लेख एवं अब इस त्रुटि को सही करते हुये निम्न पढा जावे।

“समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि 42.00 वर्ग गज क्षेत्र भूमि को नियमानुसार शुल्क लिया जाकर इस 42.00 वर्ग गज क्षेत्र का नियमन किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2011/डी- 141

दिनांक :- 08/3/11

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।